



न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक:- /16 निगरानी A. - 1063 - III - 16

रामकुंवरबाई पति बालाराम पाटीदार निवासी
ग्राम हनुमंतिया तहसील जावरा जिला रतलाम
~~मध्यप्रदेश सिवा सोलीखेत मीठा ढक्का ५ रुपये~~
(म.प्र.)

विरुद्ध

.....आवेदिका

01. विकास पिता ओमप्रकाश

रामेश्वर पिता चिमनलाल मृत द्वारा वारि०

02. बालाराम पिता रामेश्वर

03. गणपतलाल पिता रामेश्वर सभी निवासीगण
ग्राम हनुमंतिया तहसील जावरा जिला रतलाम
(म.प्र.)

.....अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भ०राजस्व संहिता

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग केन्द्र
उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 105/15.16 में पारित आदेश दिनांक
21/12/15 से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर
पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करती है।

राजस्व बहुउत्तम, मध्यप्रदेश-व्यालिकर

अनुदृति अदेश पृष्ठ

R-1263-II/16. निवा.

२८३४५

स्थान तथा दिनांक	कार्यालयी तथा अदेश	प्रक्रियाएँ एवं अधिकारकों आदि के हस्ताक्षर
21.10.2016	<p>आवेदक की ओर से श्री अखदाक कुशी अवैभाषिक उपलिपि। ग्राहयता पर की गया। एप्पे आयुज के आवेदी की सब जांचित्रों का अधोक्षण किया गया। एप्पे आयुज द्वारा उनके समय उत्तुत अधिक मात्र 20 दिनों विकास ले प्राप्त होने के कारण निरस भी गई है। इस स्थिति में अन् 2015(4) MPLJ 502 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माप हुए गोपनीय प्राप्तिपादित किया गया है कि समय सीमा के बिना पर उपरोक्त को अपनामा-वार्षिक अन्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राप्तिपादित न्यायिक टिक्काएँ के प्रकार में एप्पे आयुज का आदेश दिनांक 21.12.2015 निरस किया जाए। प्रपञ्च गुणांक पर निराकरण होने प्रत्यक्षिण किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	